छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 856/2007*</u>

1.	**श्री विक्टर एक्का,** **उप कुल सचिव,** **पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,** **रायपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	*जन सूचना अधिकारी,* **उच्च शिक्षा विभाग** **छ0ग0 शासन, मंत्रालय,** **रायपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 25 फरवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विक्टर एक्का ने जन सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष दिनांक 25.04.2007 एवं 02.06.2007 को आवेदन दिये थे, उक्त आवेदनों पर जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 29.05.2007 एवं 10.07.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, उक्त अपील पर दिनांक 10.08.2007 को आदेश पारित किया गया, उक्त पारित आदेश से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 07.09.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह स्वीकार नही किया था कि उन्हें चाही गई जानकारी प्राप्त हो गई है, जबकि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने केवल इसी आधार पर एक संक्षिप्त आदेश पारित करके उनकी प्रथम अपील अस्वीकार कर दी और उन्होंने ऐसा भी कहा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह स्वीकार नही किया था कि उन्हें समस्त जानकारी प्राप्त हो गई है । इस संबंध में हो सकता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने किसी गलतफहमी के कारण ऐसा उल्लेख कर दिया हो, किन्तु जब अपीलार्थी यह तर्क दे रहा है कि उसे पूर्ण जानकारी नही मिली है और जानकारी का अवलोकन नही कराया गया है तो तर्क में जन सूचना अधिकारी ने यह बताया है कि उन्होंने पूर्ण जानकारी का अवलोकन करा दिया है, फिर भी अपीलार्थी का यह अनुरोध स्वीकार किये

जाने योग्य है और यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उनके आवेदन से संबंधित जो भी नस्ती हो, उनका नि:शुल्क अवलोकन 15 दिवस में करा दिया जावे और उसके बाद उसमें से जो भी जानकारी चाहे नियमानुसार दिये जाने योग्य हो, वह उन्हें 20 दिवस में नि:शुल्क प्रदान की जावे । अपीलार्थी के आवेदनों में कई अनुरोध इस प्रकार के है, उदाहरण के लिए :- किसी अधिकारी विशेष की गलत हुई पदोन्नति को निरस्त करना, वह इस आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर है और आयोग केवल सूचना दिलवा सकता है तथा अभिलेखों का अवलोकन करवा सकता है, यह आदेश ऊपर दिये जा चुके हैं और प्रकरण में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

3/ अत: उक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त